संख्याः 262/XXIV-3/13/02(25)2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून, दिनांकः 28 फरवरी, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 अर्थ–1/57953/5क(15)/01/2012–13 दिनांकः 08 फरवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान के अन्तर्गत कतिपय मदों में पर्याप्त बजट प्राविधान न होने के कारण विभिन्न देयकों के भुगतान हेतु संलग्नक बी0एम0–09 (भाग एक) प्रथम में इंगित के विवरणानुसार अनुदान सं0 11 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 1435 हजार (रूपये चौदह लाख पैतींस हज़ार मात्र) को पुनर्विनियोजित करते हुए अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(4) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(5) जिला एवं मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यो का नियमित अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन Task Force गठित कर सुनिश्चित कराया जाय।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः193/XXVII (1)/2012 दिनांकः 30.03.2012 एवं शासनादेश संख्याः 183/ XXVII(1)/2012 दिनांकः 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0 11 आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 108–परीक्षाए, 03–माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं 04–माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान आय–व्ययक में संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 63(NP)/XXVII(3)2012–13 दिनांकः 28 फरवरी, 2013 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 262/XXIV-3/13/02(25)2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमायूँ मण्डल–नैनीताल।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

तालिका–1

प्रपत्र–बी०एम०–09 (भाग–एक)

(देखें पैराग्राफ 139)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन

(इस प्रपत्र को भरने से पहले कृपया पृष्ठ के दूसरी ओर दिये अनुदेशों को सावधानी पूर्वक देख लें)

अनुदान सं० व नाम :– अनुदान संख्या –11, व नाम–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

लेखा शीर्षक (प्रत्येक योजना हेतु)

मुख्य शीर्षक :– 2202 सामान्य शिक्षा (आयोजनेत्तर)

उप मुख्य शीर्षक:– 02 माध्यमिक शिक्षा

लघु शीर्षक:– 108 परीक्षाएं

उप शीर्षक:– 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान

विस्तृत शीर्षक:– 00

वित्तीय वर्ष–2012–2013

(रुपये हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु धनराशि	अंतरण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा (आयोजनेत्तर) 02–माध्यमिक शिक्षा 108–परीक्षाएं 04–माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान						2202–सामान्य शिक्षा (आयोजनेत्तर) 02– माध्यमिक शिक्षा 108–परीक्षाएं 03–माध्यमिक शिक्षा परिषद्					
02–महंगाई भत्ता	14280	200	200	200	14080	04 यात्रा व्यय	6200	7544	1344	1344	7544
06–अन्य भत्तें	2520	800	800	800	1720	04– माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान					
16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	400	300	300	300	100						
17–किराया, उपशुल्क एवं कर	200	91	91	91	109	19–विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	150	241	91	91	241
स्वामित्व	100	44	44	44	56						
45–अवकाश यात्रा व्यय											
सम्पूर्ण योग:–	17500	1435	1435	1435	16065	सम्पूर्ण योग:–	6350	7785	1435	1435	7785

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तो सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

संख्या आर.ई.............. /ई.................... /एक्स.................. दिनांक ....

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....
वित्त विभाग .....

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....सुनील श्री पांथरी
प्रशासनिक विभाग .माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
संख्या .262/XXIV–3/02(25)13 दिनांक 20.02.2013

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग,(वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन)।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम .....
वित्त विभाग .....

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2012-2013)
बी .एम. - 07

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - .

अलोटमेंट आईडी - R1303110140
दिनांक - 06-Mar-2013

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी (7)	अभियुक्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 108 परीक्षाएं 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान 00 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान (Non Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद 00 माध्यमिक शिक्षा परिषद (Non Plan Voted)			
1	03 - महंगाई भत्ता 14280000	13924948	155052	200000	04 - यात्रा व्यय 1344000	7544000	14080000	
2	06 - अन्य भत्ते 2520000	1306058	413942	800000			1720000	
3	16 - व्यावसायिक तथा विशेष से 400000	31850	68150	300000			100000	
4	45 - अवकाश यात्रा व्यय 100000	8565	47435	44000			55000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133, 134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 15 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी जाय

(पुनीतश्री पांथरी)
उप सचिव,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन